

कार्यालय

संघ, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संघनज।

संख्या- प्राविध/परिषद संघनज/2021/0537

संघनज दिनांक: 09/08/2021

संश्लेषित जाप

अखिला भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आर्येसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धांतिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरों पर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० संघनज से राखण्ड/संघनज विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में संघनज समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को संघनज पूर्ण से संचालित संस्थाओं को संघनज विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता बुद्धि सहित अन्य सत्रों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु संघनज/संघनज विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


संघनज समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संघनज द्वारा सत्र 2021-22 हेतु संचालित करने के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसकी अधिक प्रवेश क्षमता हेतु संघनज विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4890-KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MEHRUPUR, JAUNPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

संघनज हेतु शर्तें

- ✓ संघनज ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संघनज उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019-20- प्रतिवर्ष: दो वर्षीय कार्यक्रमों पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रमों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सत्र 2022-23 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक सत्र/सत्रों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संघनज/संघनजों से शुल्क के संबंध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले कठे सांसाटिब प्रश्नों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कठि निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्संचरण किया जाता है, वो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संघनज को ₹००० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप-समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाए। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संघनज में संघनज प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश संघनज के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संघनज को संघनज-संघनज पर निर्मित सांसाटिब के अनुसार निर्देशक एवं संघनज शुल्क जमा करना होगा।



- ✓ संस्था को एम.आई.सी.टी.आई.पी.सी.आई. से अलगगी करा हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जसब आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि(नियम) अधिनियम(शासन)देवा/निर्देशा एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संशोधन यदि पी.सी.आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अग्रगत रहती है तो इस संबंध में संस्था उपरदायित संस्था का होगा और दिल्ली रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्याज चायर किया जाता है तथा चारन कट के संबंध में मा. माहालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अधीन निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संशोधन करने वाली संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (कार्यालय) के माध्यम से प्रवेश संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुक्त, छात्रावास सुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ हेमिंग रोकने के संबंध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था ने प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचि, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवातन में प्रयोग किया जाका है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्कात संस्था की समझदता समझ लिये जाने की अनुसंधा को बखेगी।
- ✓ संस्था के संबंधित निरीक्षण प्रोवात यदि संस्था ने भूमि, भवन, उपयोगात्ता, उपकरण एवं अन्य साधन/संसाधन एम.आई.सी.टी.आई.पी.सी.आई.परिषद के मातकानुसार उपलब्ध नहीं प्राया जाता है तो संस्था को समझदता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ समझदता पूर्ती का अनुपालन न किये जाने अथवा यहाँ पर उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राधिपा/परिषद समझदता/2021/3538-4808

दिनांक: 09/08/2021

पतिशिक्ति:-

प्रधानाचार्य/निदेशक KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MEHRUPUR, JAUNPUR



(Handwritten signature)

(सुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

संघित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिय/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कौशलियत ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4890-KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमावली-2000, रेगुलेशन विनियमावली-2016 तथा अधय-समय पर निर्गत शासनदोषों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वर्षीय इन्जी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रत्येक सम्बद्धता से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त लखनऊ में शूलक के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदोष प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदोषों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनदोषों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये साध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाये तो इस लक्ष्य में समस्त उपरोक्त संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये साध्यकारी होगा।



का परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तब न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी जर्जर निर्णय किया जाया है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एडमिशन/सीट/सीट/आर/परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की/काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अज्ञान पर/स्थिति प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समकक्ष पर निर्णय नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साधन-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुक, छात्रवृत्ति बुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बताने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराते गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सज्जा एडमिशन/सीट/सीट/आर/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(Handwritten Signature)

(एफओआरओ खान)

सचिव

पुंरसं०- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक- 30/08/2022

प्रतिष्ठित:-

प्रधानाचार्य/निदेशक KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY

(Handwritten Signature)

(एफओआरओ खान)

सचिव



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12000001

राखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों की अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम :- 4890-KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्रमसं	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईजीसी/टीईईओ पीसी/आईओ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश राखन के पत्र संख्या 311/15-20001/202322 टीआरडी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जांच के निरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रेषित विट प्राविधिक संस्था 5023/2023 में माननीय न्यायालय के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संश्लिष्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, सेवा उपकरण) आदि उपलब्ध हों।
- ✓ राज्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमव्यवस्था 1982, विनियमव्यवस्था-2008, सेमेस्टर विनियमव्यवस्था-2018 एवं समय-समय पर निर्मित सामग्री/सूची का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिलिपि प्राप्त/प्रकाश में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाचन द्वारा निर्णय किये जाने एवं बरतन/देख प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किये जाने आवश्यक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनताम बर्त लागू होगी।
- ✓ संस्था में शुल्क प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सामग्री/सूची के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश राखन द्वारा निर्गत सिद्धि/निर्णय/अतिरिक्त/सामानादर/निर्णयों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रादेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा किये गये निर्णय, विनियमों, अटेंशनों, निर्णयों का पालन



करने के लिये प्राप्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद्/कार्यकारी कक्षा/निकाय और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त आवश्यकताओं का होना और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग जहाँ प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम दाखल किया जाता है तब दाखल कदम के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी कार्यवाही होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्रीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आमेन्डर प्रदेश प्रीक्षा हेतु अखिल भारतीय प्रश्न पत्रों के एवं अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद्/कार्यकारी कक्षा/निकाय और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अतः उन्हें प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु अलग-अलग पर निर्गत नवीनता आवश्यकता निर्णयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रादेशिक शिक्षा के नूतन वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, पता, साधन-सम्पत्, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी प्रवेश हेतु उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ वैशेषी होने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रादेशिक/संबन्धित परामर्शकों को संस्था को हेतु निरीक्षण समिति के स्थल उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-पत्र, कर्नावर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्शक के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही को वापसी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा (संगठित) और उपनिमित्त संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना विनियमवली, 2000 के प्राधानानुसार परिषद की मांग पर आगे कार्यवाही भर्ती और कर्नावर को परिषद को परिषद के संस्थान के लिए परिषद के अधिकार में रखे।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत् एमआईटी/पीएचडी/पीएचडी/पीएचडी/परिषद के मातहत/निकाय उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्दी का अनुपालन न किये जाने अथवा रद्दी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुसंधान/कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं०सं०- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठित:

प्रधानाचार्य/निदेशक, KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

